# आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक–एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2021–22/ 418 दिनांक– 28/06/2022

समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
वित्तपोषित विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय,
राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय– कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना (12वीं उत्तीर्ण) उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SC वर्ग), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (ST वर्ग), अल्पसंख्यक मामलात् विभाग (Minority वर्ग) एवं 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (ST वर्ग) तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 हेतु आक्षेप पूर्ति एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा संबंधित मुख्यालय को फॉरवर्ड करने के संबंध में।

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2021–22 (12वीं उत्तीर्ण) उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SC वर्ग), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (ST वर्ग), अल्पसंख्यक मामलात् विभाग (Minority वर्ग) एवं 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (ST वर्ग) तथा देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2021–22 के ऑनलाईन आवेदन पत्रों की विद्यार्थियों से आक्षेप पूर्ति, महाविद्यालयों द्वारा नोडल महाविद्यालय को फॉरवर्ड हेतु एवं नोडल महाविद्यालयों द्वारा संबंधित मुख्यालय को फारवर्ड हेतु छात्रवृति पोर्टल की तिथियां निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

| क्र. सं | योजना का नाम | विद्यार्थियों को आक्षेप पूर्ति हेतु | महाविद्यालयों द्वारा जिला नोडल को फॉरवर्ड हेतु | जिला नोडल महाविद्यालयों द्वारा संबंधित मुख्यालय को फारवर्ड हेतु |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2021–22 (12वीं उत्तीर्ण) उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SC वर्ग), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (ST वर्ग), अल्पसंख्यक मामलात् विभाग (Minority वर्ग) की छात्राओं हेतु | 11.07.2022 तक | 21.07.2022 तक | 01.08.2022 तक |
| 2 | कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2021–22<br>10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु (ST वर्ग) | 11.07.2022 तक | – | जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा TAD को फारवर्ड हेतु 01.08.2022 तक |
| 3 | देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना वर्ष 2021–22 | 11.07.2022 तक | 21.07.2022 तक | 01.08.2022 तक |

d:\scholarship\online scholarship\online schlorship.docx

उक्त योजनाओं के अंतर्गत आक्षेपित आवेदनकर्ता (छात्राओं) के दूरभाष पर व्यक्तिशः वार्ता कर आक्षेपों की पूर्ति कराना सुनिश्चित करावें।

यदि किसी महाविद्यालय/जिला नोडल अधिकारी के स्तर पर उक्त तिथियों के पश्चात् भी आवेदन पत्र लम्बित रहते है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी तथा पात्र छात्रा किसी प्रकार का कोई वादा दायर करते है तो उसी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रभारी की होगी।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक–एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.स्कू.ऑनलाईन/2021–22/419-423

दिनांक– 28/06/2022

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
3. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अंधिकारिता विभाग, जयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. प्रभारी वेबसाइट, को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।

वित्तीय सलाहकार